<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।</u>

सेशन केस नं०–598/2020

सरकार बनाम अरविन्द यादव व अन्य।

<u>आरोप</u>

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्तगण अरविन्द यादव, मोहन यादव, सिन्धू यादव, लोचन यादव उर्फ अर्जुन यादव व चिन्ता यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 13.05.2020 को भोर 3.00 बजे, वहद स्थान कोइसलवा बुजुर्ग महुवा टोला, थाना–पटहेरवा, जिला–कुशीनगर में आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा मेवाती देवी के पति ललन यादव की लाठी, डण्डा व ईंट से मार कर हत्या कर दी गयी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 302/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि यह कि उक्त तिथि समय पर स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उक्त के दरवाजे पर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक राय व एक गोल होकर नाजायज मजमा कायम कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 147/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः19.03.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांकः19.03.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।</u>

सेशन केस नं०–598/2020

सरकार बनाम अरविन्द यादव व अन्य।

<u>आरोप</u>

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्तगण सिन्धू यादव व चिन्ता यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 12.05.2020 को, वहद स्थान कोइसलवा बुजुर्ग महुवा टोला, थाना–पटहेरवा, जिला–कुशीनगर में वादिनी मुकदमा घर के सामने खेत में घास निकाल रही थी कि उसी को लेकर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा उक्त को मारा–पीटा गया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त तिथि व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा उक्त को गाली-गुप्ता देकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 504/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः19.03.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांकः19.03.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

19.03.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण अरविन्द यादव, सिन्धू यादव, लोचन यादव उर्फ अर्जुन यादव व चिन्ता यादव जिला कारागार देवरिया से जरिये हिरासत तथा अभियुक्त मोहन यादव मय अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–147, 323, 504, 304, 34 का अपराध नहीं बनता है। इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा तमामी विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर उक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, अतः आरोप विरिचत किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147, 323, 504, 302, 34 भा०द०सं० के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी, परन्तु दौरान विवेचना तमामी साक्ष्यों को साक्ष्य संकलित करते हुये विवेचक द्वारा धारा–147, 323, 504, 304, 34 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक मृत्यु का कारण Hemorrhage and shock as result of antimortum injury दर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण **अरविन्द यादव, मोहन यादव, सिन्धू यादव, लोचन यादव उर्फ अर्जुन यादव** व **चिन्ता यादव** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–147, 302, 34 तथा अभियुक्तगण **सिन्धू यादव** व **चिन्ता यादव** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–323, 504, 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण अरविन्द यादव, सिन्धू यादव, लोचन यादव उर्फ अर्जुन यादव व चिन्ता यादव जिला कारागार देवरिया से जरिये हिरासत तथा अभियुक्त मोहन यादव मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण **अरविन्द यादव, मोहन यादव, सिन्धू यादव, लोचन यादव उर्फ अर्जुन यादव** व **चिन्ता यादव** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–147, 302, 34 तथा अभियुक्तगण **सिन्धू यादव** व **चिन्ता यादव** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–323, 504, 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–।
कुशीनगर स्थान पडरौना।